

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

गृह (पुलिस) विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
201	ता.प्र.सं.08 (क्र.595) दि.02.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	दि.01.01.2014 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में अनियमितताएं करने एवं नियम विरुद्ध कार्य करने की दोषी निजी सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	निर्देश जारी किये गये हैं।		
202	परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 631) दि. 02.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया)	गुना जिले की विभिन्न पंचायतों में विगत 05 वर्षों की अवधि के दौरान हुये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के प्रकरणों से संबंधित फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाकर प्रकरणों का निराकरण कराया जाना।	विधिसम्मत कार्यवाही प्रचलन में है।		
203	परि.ता.प्र.सं. 64 (क्र. 2164) एवं परि.ता.प्र.सं. 65 (क्र. 2165) दि. 02.03.2015 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले की जनपद पंचायत ब्यौहारी में फर्जी कूटरचित अंक सूची के आधार पर रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) प्रकरण में 04 आरोपियों त्रिवेन्द्र सिंह, संगीता सिंह, कैलाश केवट एवं धमेन्द्र कुमार पटेल से संबंधित फर्जी कूटरचित अंक सूचियों की जांच हेतु कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। (2) अंकसूची सत्यापन उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।		
204	अता.प्र.सं. 70 (क्र. 2335) दि. 02.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	विभाग में पदस्थ समयमान-वेतनमान से वंचित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान स्वीकृत किये जाने की शीघ्र कार्यवाही किया जाना।	शेष के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन।		
205	अता.प्र.सं. 102 (क्र. 2679) दि. 02.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन में दि.05.05.14 को दर्ज शिकायत शीघ्र जांच कराई जाकर जांच निष्कर्षों पर कार्यवाही किया जाना।	(1) शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है। (2) जांच निष्कर्ष में आये तथ्यों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

राजस्व विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
206	ता.प्र.सं. 20 (क्र. 2706) दि. 02.03.2015 (श्री विश्वास सारंग)	शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मशीनों एवं प्लेटों की हेराफेरी तथा अनियमितताओं की त्वरित जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	(1) नियमानुसार जांच की जा रही है। (2) जांच अभी प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।		
207	परि.ता.प्र.सं. 32 (क्र. 1359) दि. 02.03.2015 (श्री राजेश सोनकर)	उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ तत्कालीन संयुक्त संचालक, इंदौर के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कराई जाना।	(1) आगामी कार्यवाही हेतु श्री सिंह के पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया। (2) कार्यवाही हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रेषित की गई है।		
208	परि.ता.प्र.सं. 34 (क्र. 1464) दि. 02.03.2015 (श्री भारत सिंह कुशवाह)	(1) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना। (2) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों में से शेष मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना।	(1) वर्तमान में जिला स्तर पर प्रस्तावों पर कार्यवाही चल रही है। (2) शेष पर नियमानुसार कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलित है।		
209	परि.ता.प्र.सं. 42 (क्र. 1682) दि. 02.03.2015 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	(1) मुरैना जिले की कैलारस तहसील के राजस्व हल्का न.18 में आवंटित भूमि के पट्टों की त्वरित जांच कराई जाना। (2) मुरैना जिले की कैलारस तहसील की नेपरीपुल क्वारी नदी पर पुल निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का संबंधित एजेंसी से कृषकों को शीघ्र मुआवजा दिलाया जाना।	(1) जांच में पट्टा नियम विरुद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) पुल निर्माण में आने वाले कृषकों की भूमि का मुआवजा देने की कार्यवाही मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा की जा रही है।		
210	परि.ता.प्र.सं. 45 (क्र. 1822) दि. 02.03.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	बैतूल जिले में संरक्षित वन मानकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित की गई भूमि के स्वामियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया जाना।	उन जमीनों पर वन अधिकार पत्र दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

राजस्व विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
211	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 2089) दि. 02.03.2015 (श्री रामप्यारे कुलस्ते)	मण्डला जिले में मण्डला विकाखण्ड के ग्राम गाजीपुर में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर अतिक्रमकों के विरुद्ध त्वरित विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	जी हां ।		
212	परि.ता.प्र.सं. 73 (क्र. 2330) दि. 02.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	सिंगरौली/सीधी जिले में कृषक की भूमि पर जे.पी.पॉवर प्लांट निगरी द्वारा किये गये नियम विरुद्ध निर्माण पर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के अनुसार निर्माणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना ।	प्रावधानानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवसर को निर्देशित किया गया है ।		
213	परि.ता.प्र.सं. 95 (क्र. 2629) दि. 02.03.2015 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	राजस्व विभाग में स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना ।	कार्यवाही प्रचलित है ।		
214	परि.ता.प्र.सं. 103 (क्र. 2699) दि. 02.03.2015 (पं. रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के मौजा नवेगांव मकरिया के खसरा नं.403/2 की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिसूचित किये जाने के पश्चात् भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन करने के दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	(1) विभागीय कार्यवाही की जा रही है । (2) वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलित है ।		
215	अता.प्र.सं. 07 (क्र. 615) दि. 02.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना जिले की मैहर तहसील में निजी कंपनी द्वारा नियम विरुद्ध आदिवासियों की भूमि अपने वाहन चालक के नाम खरीदे जाने की शीघ्र जांच कराई जाने पर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	विधिक वस्तुस्थिति आयुक्त रीवा संभाग रीवा से अपेक्षित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्पष्ट हो सकेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

राजस्व विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
216	अता.प्र.सं. 13 (क्र. 782) दि. 02.03.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के पिपलौदा में स्थित जिनिंग फैक्ट्री की भूमि के स्वत्व की त्वरित जांच कराई जाकर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना।	वर्तमान में निजी स्वत्व पर अंकित भूमियों की जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांच की पूर्णता पर (शासन के निर्देशों के अनुरूप) नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
217	अता.प्र.सं. 26 (क्र. 1393) दि. 02.03.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	(1) सतना जिले में बढ़ाए गए राजस्व निरीक्षक वृत्तों हेतु पदों की स्वीकृति दिलाई जाना। (2) राजस्व निरीक्षकों के शेष 111 रिक्त पदों पर पटवारियों को पदोन्नति प्रदान किया जाना एवं 416 राजस्व निरीक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। (2) 111 शेष पटवारियों को परिभ्रमण में होने से उनसे संबंधित जानकारी जिलों से प्राप्त होते ही शीघ्र उन्हें भी रिक्त राजस्व निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत कर पदस्थ कर दिया जावेगा। कार्यवाही प्रचलित है।		
218	अता.प्र.सं. 45 (क्र. 1820) दि. 02.03.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिलों की सरंक्षित वन भूमि मानी गई जमीनों की वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत शीघ्र जांच कराई जाना।	भूमि की जांच की जा रही है।		
219	अता.प्र.सं. 51 (क्र. 2055) दि. 02.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	रायसेन एवं देवास जिलों में कृषकों की व्यवसायिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि के बकाया प्रीमियम की त्वरित वसूली किया जाना।	वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
220	परि.ता.प्र.सं. 09 (क्र. 398) दि. 02.03.2015 (श्री सचिन यादव)	खरगौन जिले के कसरावद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शेष नल-जल योजना तथा पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में जल प्रदाय योजना का त्वरित क्रियान्वयन किया जाना।	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।		
221	परि.ता.प्र.सं. 25 (क्र. 1260) दि. 02.03.2015 (श्री हरवंश राठौर)	सागर जिले के बण्डा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल प्रदाय संबंधी बंद योजनाओं को शीघ्र आरंभ कराया जाना।	बंद योजनाओं को चालू कराने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।		
222	परि.ता.प्र.सं. 48 (क्र. 1921) दि. 02.03.2015 (श्री कुंवर सिंह टेकाम)	सीधी जिले के कुसमी विकासखण्ड की अपूर्ण पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	जी हां। योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।		
223	परि.ता.प्र.सं. 83 (क्र. 2432) दि. 02.03.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	सिवनी जिले के पर्याप्त पानी वाले 20 नलकूपों में हेण्डपंप/मोटरपंप स्थापित किये जाकर जल प्रदाय आरंभ कराया जाना।	20 नलकूपों में हैण्डपंप/मोटरपंप स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।		
224	परि.ता.प्र.सं. 108 (क्र. 2965) दि. 02.03.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले में एन.एच.7 एवं एन.एच.27 के निर्माणाधीन फोरलेन की परिधि में आने वाले नलकूपों का शीघ्र स्थानान्तरण करते हुये पुनर्स्थापन कराया जाना।	(1) 36 नलकूप स्थानान्तरित होकर पुनः निर्मित/स्थापित किये जाने हैं। (2) शेष की कार्यवाही प्रगति पर है।		
225	अता.प्र.सं. 19 (क्र. 901) दि. 02.03.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले में पेयजल संबंधी 08 बंद योजनाओं का शीघ्र स्रोत निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना तथा बंद योजनाओं को प्रारंभ कराया जाना।	स्रोत से बंद 8 योजनाओं में स्रोत निर्माण हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बंद योजनाओं को चालू कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
226	परि.ता.प्र.सं. 14 (क्र. 721) दि. 02.03.2015 (श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)	प्रदेश की आंगनवाडियों में कार्यरत पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाना।	पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।		
227	परि.ता.प्र.सं. 67 (क्र. 2272) दि. 02.03.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	बड़वाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाडियों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना।	पुनः विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है।		
228	अता.प्र.सं. 56 (क्र. 2157) दि. 02.03.2015 (श्री रामसिंह यादव)	शिवपुरी जिले में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के डी.पी.ओ. के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कराई जाना।	कलेक्टर द्वारा प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्यों के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी।		
229	अता.प्र.सं. 95 (क्र. 2638) दि. 02.03.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति किया जाना।	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 की आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पुनर्वास विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
230	परि.ता.प्र.सं. 36 (क्र. 1496) दि. 02.03.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	(1) 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त राशि का अनुशंसित कार्यों में उपयोग किया जाना । (2) क्षमता निर्माण की शेष राशि की व्यवस्था कराई जाने संबंधी कार्यवाही त्वरित रूप से किया जाना । (3) क्षमता निर्माण की शेष राशि का त्वरित उपयोग अनुशंसित कार्यों पर किया जाना ।	(1) शेष राशि व्यय की प्रक्रिया में है । (2) क्षमता निर्माण की शेष राशि प्राप्त करने हेतु केन्द्र से सतत् पत्राचार जारी है । (3) क्षमता निर्माण की शेष राशि व्यय की प्रक्रिया में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
231	अता.प्र.सं.12 (क्र. 770) दि. 02.03.2015 (श्री रामनिवास रावत)	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों पर शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही किया जाना ।	(1) शेष 84 प्रकरणों में कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाना है । (2) शेष 214 प्रकरण प्रशासकीय विभागों में लंबित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

(फरवरी-मार्च 2015 सत्र का निर्धारित समयावधि के पूर्व सत्रावसान होने के कारण दिनांक 24 मार्च 2015 को पटलित)

पशुपालन विभाग

दिनांक 02.03.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
232	अता.प्र.सं. 39 (क्र. 1718) दि. 02.03.2015 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले की जबेरा तहसील में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य संवर्गों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना ।	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।		